GENERAL WILL – ROUSSEAU

सामान्य इच्छा का सिद्धान्त रूसो के राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मौलिक एवं कठिन विचार है। सामान्य इच्छा की अपनी इस धारणा में रूसो ने स्वतन्त्रता तथा सत्ता, हित तथा कर्तव्य एवं वैयक्तिकता तथा सर्वव्यापकता में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। क्योंकि रूसो कि मुख्य समस्या यह रही है कि मनुष्यों को संरक्षणशील करते हुए स्वतंत्र किस प्रकार रखा जाय। उन्हीं के शब्दों में

"To find a form of association which may defend and protect with the whole force of the community the person and property of each associate, and by means of which each uniting will all, may nevertheless obey only himself and remain as free as before."

रूसो का मत है कि ऐसी स्थिति में लोग सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रह कर प्राप्त कर सकता है।

स्पष्ट है कि रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा की धारणा देकर राजनीति दर्शन के क्षेत्र में एक ऐसा महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसने राजनीतिक जीवन में संयुक्त के रूप में राज्य के महत्व को इंगित किया है। अतएव Prof. W. T. Jones ने ठीक ही कहा है

"The notion of general will is not only the most central concept of Rousseau's theory, it is also the most original, the most interesting and historically the most important contribution which he made to political theory."

अब प्रश्न यह उठता है कि "सामान्य इच्छा" है क्या? इस संबन्ध में रूसो ने दो प्रकार की इच्छाओं का उल्लेख किया है – (1) Actual will 2. Real will

Actual will मनुष्य के 'Lower Self' पर आधारित है इसलिए इसे विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर Real will मनुष्य के "Higher Self" पर आधारित है, इसलिए यह विवेकपूर्ण है तथा व्यक्ति और समाज दोनों के हित में सामंजस्य स्थापित करती है। इस प्रकार राज्य के सभी व्यक्तियों के "Real will" का योग ही सामान्य इच्छा है।

स्पष्ट है कि लेखों ने मनुष्य की उपर्युक्त प्रकार की इच्छाओं के प्रसंग में अपनी सामान्य इच्छा विषयक धारणा का स्पष्टीकरण किया है। C.L. WAYPER का कहना है कि

"... the general will is thus the will of all the citizens when they are willing not their private interest but the greatest good; it is the voice of all for the good of all."

लेखों ने 'general will' और 'will of all' (सबकी इच्छा) में अन्तर बताया है। सबकी इच्छा का अर्थ है, सभी व्यक्तियों की विशेष इच्छाओं का योगफल। यह सभी व्यक्तियों की स्वार्थपूर्ण संकल्पों का योगफल है। सामान्य इच्छा हमेशा व्यापकोन्मुख होती है। अतएव यह सामान्य हित की भावना की उपेक्षा कर ठीक नहीं सकती।

लेखों ने सामान्य इच्छा तथा जनमत में भी अन्तर किया है। उसके अनुसार जनमत में मनुष्य की मतदाताओं की संख्या का ख्याल किया जाता है। जबकि सामान्य इच्छा संख्या के बजाय सार्वजनिक हित पर जोर देती है। एक व्यक्ति अथवा कुछ थोड़े से व्यक्ति भी अपनी वास्तविक और निःस्वार्थ इच्छाओं को निर्धारित होकर सामान्य इच्छा का पता निश्चित कर सकते हैं। अतः सामान्य इच्छा को जनमत नहीं कहा जा सकता।

स्पष्ट है कि सामान्य इच्छा सर्वोच्च तथा सम्प्रभु है जिसकी आज्ञा का पालन करने के लिए समस्त समाज बाध्य है या उसे बाध्य किया जा सकता है। जैसा कि रूसो ने कहा है कि "... he shall be forced to be free ..." द्वितीय, सामान्य इच्छा अविभाज्य होती है। जिसे रूसो के अनुसार विभक्त करने का अर्थ उसे नष्ट कर देना है, क्योंकि इससे सामान्य इच्छा की एकता समाप्त हो जाती है। तीसरे, रूसो की सामान्य इच्छा अदेय है। क्योंकि रूसो के अनुसार सम्प्रभुता सामान्य इच्छा का प्राण है और जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक करके दूसरे को नहीं दिया जा सकता, इसी प्रकार सामान्य इच्छा को पृथक करके दूसरे को नहीं दिया जा सकता। चौथे, स्वयं रूसो ने लिखा है " सामान्य इच्छा सदैव न्यायोचित होती है और सदैव सार्वजनिक हित के प्रयत्नशील रहती है। पाँचवें, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सामान्य इच्छा का सम्बन्ध सिर्फ जनहित से होता है, व्यक्तिगत हित से नहीं। साथ ही सामान्य इच्छा इस बात का भी निर्धारण करती है कि क्या जनहित में है और क्या व्यक्तिगत हित में है। छठे, सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व भी नहीं किया जा सकता है — न राजनीतिक दल के द्वारा, न संसद और न ही कार्यपालिका के द्वारा। रूसो ने ठीक ही कहा है "The moment there is a master, there is no longer sovereign and ~~[illegible]~~ forthreith the body politic is destroyed." इसे और स्पष्ट करते हुए रूसो ने लिखा है कि " संसद के सदस्यों के निर्वाचन के समय ही ब्रिटेन की जनता स्वतंत्र होती है निर्वाचन के बाद जनता दास और नगण्य बन जाती है। सातवें, सामान्य इच्छा रूसो के अनुसार कार्यपालिका की इच्छा नहीं है क्योंकि सामान्य इच्छा का कार्य केवल कानून बनाना है, न कि उन्हें लागू करना। और अन्त में सामान्य इच्छा सामान्य कानूनों द्वारा ही व्यक्त होती है अन्य किसी माध्यम के द्वारा नहीं।

Scanned with CamScanner

सामान्य इच्छा के उपरोक्त विशेषताओं के बावजूद विद्वानों ने इसकी कटु आलोचना की है। wayper का कहना है कि "If the general will is supreme, the social contract is unnecessary and meaningless, and if the social contract is necessary and significant the general will can not be supreme" स्पष्ट है कि वेपर के अनुसार रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धान्त उसके सामाजिक समझौते के सिद्धान्त का विरोधी बन जाता है। Sabine भी wayper के इस मत से सहमत है। सामान्य इच्छा के विरुद्ध यह भी आलोचना की जाती है कि यह एक vague और confusing धारणा है स्वयं रूसो ने भी इसे विभिन्न जगहों पर विभिन्न अर्थों में व्यक्त किया है। कभी उसने इसे "The will which wills the good of all" तो कभी 'will of the majority' तो कभी 'will of wise legislature' के रूप में व्यक्त किया है। सामान्य इच्छा के विरुद्ध यह भी आलोचना की जाती है कि रूसो ने general will को निरंकुश बनाकर तानाशाही (totalitarianism) के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। फिर रूसो की सामान्य इच्छा की धारणा आधुनिक राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि रूसो ने इसे Representable होने से इंकार किया है अतः इसका अस्तित्व सिर्फ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में है।

फिर ऐसा नहीं माना जा सकता है कि रूसो की सामान्य इच्छा की धारणा महत्वहीन है। सामान्य इच्छा पर आधारित रूसो की लोकप्रिय सम्प्रभुता का सिद्धान्त वास्तव में एक सतत क्रान्ति का सिद्धान्त और संदेश है जो अपनी तमाम भूल भ्रान्तियों और असंगतियों के होते हुए भी लोकतंत्रात्मक भावनाओं का पोषक है। Maxey ने तो यहाँ तक कहा है कि "The Concept of general will is the crux of Rousseau's system and probably the most distinctive contribution to political thought." वास्तव में इसी सिद्धान्त ने यह प्रमाणित किया कि "will, not force is the basis of State".

Scanned with CamScanner